विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L0030513</u>

मे0 सिम्पलेक्स इंजीनियरिंग कम्पनी, — आवेदक
सिम्पलेक्स स्टेट,
नागपुर रोड,
जबलपुर (म.प्र.) – 482001

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री (शहर) वृत्त,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर (म.प्र.) – 482008

— अनावेदकगण

कार्यपालन यंत्री (दक्षिण) संभाग,
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर (म.प्र.) – 482008

आदेश

(आज दिनांक 09.05.2014 को पारित)

01. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत प्रकरण क्रमांक 170/2012 जवाहर शाह, संचालक मेसर्स सिम्पलेक्स कम्पनी विरूद्ध अधीक्षण यंत्री तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2012 से व्यथित होकर आवेदक/उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

02. आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि नागपुर रोड मदन महल परिसर में उसकी ईकाई कार्यरत हैं । उक्त ईकाई में विद्युत हार्डवेयर सामग्री एवं फब्रीकेशन का कार्य किया जाता है । अक्टूबर 2008 से ईकाई के पास कार्य न होने से ईकाई बन्द है । अक्टूबर की विद्युत की खपत का देयक 675 यूनिट आया था, जिसका भुगतान उसके द्वारा किया गया था । नवम्बर 2008 से

अप्रैल 2011 तक बिना रीडिंग लिए उसे मिनिमम चार्जेज के देयक जारी होते रहें, जिसका भुगतान उसके द्वारा किया जाता था । अप्रैल, 2011 में मीटर रीडिंग 15674 यूनिट दर्ज है, जिसका भुगतान उसके द्वारा दिया गया । अप्रैल 2008 में उसे यह बताया गया था कि परिसर में स्थापित मीटर खराब है, इसी आधार पर मीटर परीक्षण शुल्क जमा कराकर मीटर जांच हेतु ले जाया गया था, परन्तु मीटर परीक्षण की जानकारी उसे नहीं दी गई । दिनांक 28.08.11 को उसका कनेक्शन काट दिया गया, जबकि अप्रैल 2011 के देयक के विवादित होने के कारण उसके द्वारा उसका भुगतान नहीं किया गया था । परीक्षण के बाद जो मीटर लगाया गया था उसका सत्यापन उससे नहीं कराया गया था । अतः उसे जारी विद्युत देयकों को मिनिमम के आधार पर पुनरीक्षण किए जाने का निर्देश दिया जाए, मीटर की जांच उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में कराई जाए और पुनः कनेक्शन जोड़ा जाएं ।

03. आवेदक/उपभोक्ता की ओर से फोरम के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था । फोरम की नस्ती का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि मामला दिनांक 28.03.12 को सुनवाई के लिए नियत था और इसके बाद यह मामला दिनांक 11.04.12 को नियत किया गया था और इसी दिन मामला अन्तिम आदेश के लिए नियत कर दिया गया था । दिनांक 29.03.12 का पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम को दिनांक 30.03.12 को प्राप्त हुआ था, परन्तु उक्त आवेदन के संबंध में फोरम द्वारा किसी तरह का विचार किया जाना नहीं पाया जाता है ।

04. उपभोक्ता के पत्र दिनांक 29.03.12 में उपभोक्ता ने यह निवेदन किया था कि फरवरी 2009 से माह अप्रैल 2011 तक उसने जो मिनिमम बिल जमा किया है, कृपया कर उसे मई 2011 के बिल में कम किया जाए और उसका जो कनेक्शन बिना पूर्व सूचना के काट दिया गया है उसे चालू किया जाए । इस पत्र में उपभोक्ता ने दिनांक 19.04.11 अपने परिसर में स्थापित मीटर को निकालने, उसकी अन्तिम रीडिंग 27166 होने, मीटर की जांच उपभोक्ता की जानकारी के बिना कराई जाने को कोई चुनौती नहीं दी है, परन्तु इस शिकायत पत्र के साथ उपभोक्ता ने मीटर रीडिंग का जो रिकार्ड प्रस्तुत किया है वह नवम्बर 2008 से मई 2011 का है और इस रिपोर्ट के अनुसार मई 2011 में उपभोक्ता पर रू. 43369/– बकाया थे, जिसका भुगतान उसके द्वारा नहीं किया गया है । उपभोक्ता ने इस आशय का कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया कि फरवरी 2008 से जनवरी 2011 तक उसने मिनिमम चार्जेज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया था ।

05. अनावेदक की ओर से कार्यपालन यंत्री ने उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में दिनांक 28.03.12 को जवाब प्रस्तुत किया । उक्त जवाब के अनुसार उपभोक्ता को 10 अ.श. का औद्योगिक कनेक्शन दिया गया है । उक्त कनेक्शन में मार्च 2008 से विद्युत का उपयोग बन्द है, ऐसी स्थिति में प्रतिमाह मिनिमम चार्जेज की बिलिंग की जा रही थी, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जा रहा था । दिनांक 02.03.11 को परिसर खुला मिला था उस समय मीटर रीडिंग 15674 थी । इसी आधार पर माह फरवरी 2011 से माह फरवरी 2011 के लिए 50 यूनिट का देयक जारी किया गया था । मार्च 2011 की रीडिंग हेतु मीटर रीडर दिनांक 02.04.11 को गया था । परिसर बन्द होने के कारण शुन्य खपत का बिल जारी किया गया था । परिसर में उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग चालू कर दिया गया था, अतः मीटर रीडर पुनः रीडिंग लेने गया, उसे मीटर में रीडिंग अधिक मिली, जिसकी सूचना उसने उपभोक्ता को दी तब उपभोक्ता ने मीटर का परीक्षण कराने के लिए दिनांक 18.04.11 को शुल्क जमा किया । दिनांक 19.04.11 को परिसर से पुराना मीटर निकाला गया । निकालते समय पुराने मीटर में अन्तिम रीडिंग 27166 थी । मीटर की जांच दिनांक 21.07.11 को कराने की सूचना उपभोक्ता को दी गई, परन्तु उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुआ । उसे दिनांक 27.04.11 को पुनः 29.04.11 को उपस्थित होने की सूचना भेजी गई, परन्तु उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुआ । दिनांक 29.04.11 को मीटर की जांच कराई गई, जिसकी छायाप्रति दिनांक 26.05.11 को उपभोक्ता को भेजी गई, परीक्षण में मीटर सही पाया गया, अतः मई 2011 के बिल में फाईनल रीडिंग 27166 तथा मीटर की कीमत 2650/– रू. जोड़ी जाकर देयक जारी किया गया । उपभोक्ता द्वारा मार्च, 11 का देयक दिनांक 21.05.11 को 3222/– रू. जमा किए गए, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भुगतान नहीं किया गया ।

06. फोरम ने यह निष्कर्ष दिया कि मीटर के परीक्षण की सूचना देने के बाद भी उपभोक्ता मीटर के परीक्षण के समय उपस्थित नहीं हुआ है, उसे प्रश्नगत मीटर में पाई गई अन्तिम वाचन 27166 के अनुसार देयक किया गया था जो उचित है, लेकिन 02.04.11 को परिसर बन्द पाए जाने के कारण मई के बिल का लॉक क्रेडिट उपभोक्ता को प्रदान किया जाए ।

07. फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि उपभोक्ता को मीटर परीक्षण के लिए 19.04.11 तथा 27.04.11 को उपस्थित होने की सूचना दी गई थी, इस तथ्य के समर्थन में अनावेदक की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं, अतः फोरम द्वारा इस तथ्य के संबंध में दिया गया निष्कर्ष उचित नहीं है । उपभोक्ता की ईकाई नवम्बर 2008 से लगातार बन्द है । नवम्बर 2008 से अप्रैल 2011 तक अनावेदक द्वारा जारी किए गए मिनिमम चार्जेज के

बिल का भुगतान उसके द्वारा किया गया है, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की ओर से जमा की गई राशि को देयक में से कम किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है । अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में जो जानकारी प्रस्तुत की गई है वह परस्पर विरोधी तथा भ्रमपूर्ण है, अतः फोरम के आदेश को अपास्त किया जाकर मिनिमम के आधार पर देयक जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

08. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत उक्त अभ्यावेदन का जवाब दिनांक 10.10.13 कार्यपालन अभियंता, जबलपुर द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार मीटर रीडर को मार्च 2008 से फरवरी 2011 तक परिसर का ताला बन्द मिला । मार्च 2011 में मीटर में 11592 यूनिट खपत दर्ज होना पाया गया । उपभोक्ता द्वारा आपत्ति करते हुए मीटर परीक्षण कराने हेतु आवेदन दिया । दिनांक 19.04.11 को मीटर परीक्षण हेतु निकाला गया, जिसकी FR 27166 थी । दिनांक 29.04.11 को मीटर परीक्षण के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट OK थी अर्थात् 11592 यूनिट की बिलिंग सही थी, फोरम ने जो आदेश दिया है वह उचित है । फोरम के आदेश अनुसार उपभोक्ता को लॉक क्रेडिट भी दे दी गई है ।

09. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत तथा ऐसी शिकायत के संबंध में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा जो जवाब दिया गया उसका अवलोकन करने से यह पाया गया कि उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत शिकायत और उसका जवाब उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिन्हें भारतीय विद्युत अधिनियम तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए किसी भी नियम की जानकारी नहीं है । फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह परिलक्षित होता है कि फोरम ने उपभोक्ता की वास्तविक शिकायत को जानने और विधि के उपबंधों के अनुसार ऐसी शिकायत का निराकरण करने का कोई प्रयास नहीं किया है, अतः दिनांक 06.02.12 को आदेश–पत्र में लिखित आदेश के अनुसार संबंधित कार्यपालन यंत्री को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया । दिनांक 24.02.12 को ऐसे कार्यपालन यंत्री के उपस्थित होने पर उनका ध्यान उनके जवाब दिनांक 28.03.11 की ओर दिलाया गया तथा उन्हें कुछ बिन्दुओं के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया । कार्यपालन यंत्री से जिन बिन्दुओं के संबंध में जानकारी चाही गई, वह निम्नानुसार है :–

1. मार्च 2008 के पूर्व रीडिंग के आधार पर जब अन्तिम बार उपभोक्ता ने देयक जमा किया था उस समय रीडिंग क्या थी ?

2. मार्च 2008 के पूर्व की अन्तिम रीडिंग तथा 19.04.11 की रीडिंग के आधार पर उपभोक्ता पर कुल कितना देयक आता है ?
3. मार्च 2008 से खपत के आधार पर उपभोक्ता द्वारा कुल कितने रू. जमा किए गए हैं ?
4. वर्तमान में उपभोक्ता पर कितने रू. का भार आता है ?

10. दिनांक 05.04.11 को कार्यपालन यंत्री की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । बिन्दु क्रमांक 4 के संबंध में जो जानकारी दी गई वह सुसंगत नहीं पाई गई, अतः उसे पुनः दिए जाने का निर्देश दिया गया, जिसे दिनांक 11.04.14 के पत्र द्वारा कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया । बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के संबंध में कार्यपालन यंत्री द्वारा दिनांक 02.04.14 तथा 11.04.14 को जो जानकारी प्रस्तुत की गई है, वह इस प्रकार है :–

1. मार्च 2008 के पूर्व रीडिंग के आधार पर जब अन्तिम बार उपभोक्ता ने देयक जमा किया था उस समय रीडिंग 9505 थी ।
2. मार्च 2008 के पूर्व की अन्तिम रीडिंग तथा 19.04.11 की रीडिंग के आधार पर उपभोक्ता पर कुल रू. 84284/– का देयक आता है ।
3. मार्च 2008 से खपत के आधार पर उपभोक्ता द्वारा कुल रू. 39644/– जमा किए गए हैं ।
4. वर्तमान में उपभोक्ता पर रू. 82560/– का भार आता है ।

11. दिनांक 11.04.14 को जो जानकारी प्रस्तुत की गई है – वह इस प्रकार है :–

उक्त संबंध में लेख है कि माह अप्रैल – 2011 में 15674 रीडिंग पर विद्युत देयक की बकाया राशि रू. 1622/– थी और चालू माह अर्थात् अप्रैल – 2011 हेतु 11592 यूनिट का देयक 42281/– बना था । अतः कुल वसूली योग्य राशि रू. 43903/– होती है ।

12. उभयपक्ष की ओर से विवाद के संबंध में जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :–

(a) मार्च 2008 से परिसर में विद्युत मीटर की रीडिंग नियमानुसार लगातार नहीं ली गई थी ।

(b) दिनांक 19.04.11 को जब परीक्षण के लिए मीटर को निकाला गया था, उस समय उसमें रीडिंग 27166 दर्ज थी ।

(c) दिनांक 19.04.11 के पूर्व उपभोक्ता को बिना मीटर रीडिंग के देयक जारी किए जाते थे और ऐसे देयकों का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाता था ।

(d) उपभोक्ता ने यह अनुतोष चाहा है कि उसके द्वारा मार्च 2008 के बाद जो भी राशि जमा की गई है उसका समायोजन अन्तिम रीडिंग के आधार पर किया जावे ।

13. दिनांक 19.04.11 को जब मीटर परीक्षण के लिए निकाला गया था उस समय मीटर में दर्ज रीडिंग क्या थी ? इससे संबंधित कोई दस्तावेज उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से आवेदक उपभोक्ता को दिनांक 19.04.11, 25.04.11 को प्रेषित सूचना की प्रति पेश की गई है, जिसमें उपभोक्ता को मीटर के परीक्षण के समय उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था, यह पत्र उपभोक्ता को प्राप्त नहीं हुए इसकी कोई जानकारी उपभोक्ता द्वारा नहीं दी गई है । दिनांक 19.04.11 को जब मीटर परीक्षण के लिए निकाला गया था, उस समय मीटर में रीडिंग क्या थी, इसकी जानकारी भी उपभोक्ता द्वारा नहीं दी गई है, जबकि मीटर परीक्षण प्रतिवेदन में रीडिंग 27166 दर्ज है ।

14. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 8.20 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता से अपेक्षा की जाती है कि जैसे ही मीटर के रूकने या वाचन दर्ज न करने का पता उसे लगे वह अनुज्ञप्तिधारी को इस बात की लिखित सूचना दें और उसकी पावती प्राप्त करें । धारा 9.4 के प्रावधानों के अनुसार यदि विद्युत बिलों में पूर्व में की गई मीटर रीडिंग का विवरण न दर्शाया गया हो तो उपभोक्ता इसकी सूचना अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय कार्यालय को दे सकता है ।

15. उपभोक्ता को बिना मीटर रीडिंग दर्शाएं विद्युत देयक जारी किए जा रहे थे तथा उनका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाता था, परन्तु उपभोक्ता ने इस तथ्य के संबंध में आपत्ति नहीं की थी कि मीटर वाचन दर्ज नहीं कर रहा है और उसे मीटर रीडिंग का विवरण दिए बिना देयक जारी किए जा रहे हैं ।

16. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से मीटर रीडिंग की प्रति पेश की गई है । इस प्रति में कार्यपालन यंत्री के हस्ताक्षर है । उक्त प्रति का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि मार्च 2008 के बाद जनवरी 2009 तक मीटर रीडिंग दर्ज की गई है, लेकिन फरवरी 2009 से जनवरी 2011 तक मीटर

रीडिंग स्थिर रही है । फरवरी 2011 में मीटर रीडिंग में वृद्वि हुई है तथा अप्रैल 2011 तक वही मीटर रीडिंग रही है जो फरवरी 2011 में थी । कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त मीटर रीडिंग रिपोर्ट का अवलोकन करने से प्रथमदृष्टि यह पाया जाता है कि यह रिपोर्ट मीटर रीडर की पुस्तिका में दर्ज रिपोर्ट है। वास्तविक रूप से मीटर का परीक्षण कर उसमें अंकित रीडिंग की रिपोर्ट को मीटर रीडर ने अपनी पुस्तिका में दर्ज नहीं किया था, अतः इस रिपोर्ट के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है ।

17. मार्च 2008 से उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर का निरीक्षण किए बिना उसे देयक जारी किया जाता था । दिनांक 19.04.11 को जब परीक्षण के लिए मीटर को निकाला गया था उस समय मीटर की रीडिंग 27166 थी । मार्च 2008 के पूर्व जब अन्तिम बार उपभोक्ता ने देयक जमा किया था उस समय रीडिंग 9505 थी यह जानकारी अनावेदक कम्पनी के द्वारा दी गई है । आवेदक उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष दिनांक 29.03.12 को जो आवेदन पत्र पेश किया था उसमें उसने यही निवेदन किया था कि उसके द्वारा जो मिनिमम बिल जमा किया गया है उसे मई 11 के बिल से कम किया जाए, ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि मार्च 2008 के पूर्व मीटर रीडिंग 9505 थी । दिनांक 19.04.11 को मीटर की रीडिंग 27166 थी । अतः 27166 में 9505 को घटाने पर जो शेष आता है उतने कुल यूनिट की विद्युत ऊर्जा का उपभोग उपभोक्ता द्वारा मार्च 2008 से 19.04.11 तक किया गया था । उक्त अवधि में उपभोक्ता द्वारा समय समय पर विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए आंशिक राशि का भुगतान विद्युत वितरण कम्पनी को किया गया है, अतः उपभोक्ता द्वारा जितनी राशि का भुगतान किया गया है उसका समायोजन पाने का उपभोक्ता अधिकारी होना साबित होता है ।

18. अतः उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा उपभोक्ता को जारी किए जाने वाले विद्युत देयक का पुनरीक्षण इस प्रकार किया जावें –

(क) कुल यूनिट 27166 में यूनिट 9505 को घटाया जाए, जो यूनिट शेष बचती है उनका मूल्य निर्धारित किया जाए ।

(ख) शेष कुल यूनिट का जो मूल्य आता है उस मूल्य में से उपभोक्ता द्वारा मार्च 2008 से दिनांक 21.05.11 तक जो राशि जमा की गई हो उसको कम किया जाए तथा शेष राशि का संशोधित देयक उपभोक्ता को प्रदान किया जाए ।

(ग) उपभोक्ता के द्वारा शेष राशि का देयक जमा करने पर नियमानुसार उसे पुनः विद्युत कनेक्शन दिया जावे ।

19. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल